एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 424/2006
गिरधारी व अन्य बनाम गंगाराम व अन्य

4.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री सुनील त्यागी, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे इस रिट याचिका को वैकल्पिक उपचार लेने हेतु प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें रिट याचिका प्रत्याहृत करने की अनुमति दी जाती है।

यह रिट याचिका प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है। याचिकाकर्तागण वैकल्पिक उपचार लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति